न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 49 / 2018 / अपील / आर्म्स / कोटा
दायरा दिनांक 17.12.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

जाहिद हुसैन आत्मज श्री मोहम्मद उमर जाति मुसलमान निवासी गिरजाघर की गली बृजराजपुरा, कोटा।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अमित शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 17 / 1666–68 दिनांक 23.3.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 321 / तह0 लाडपुरा / 95 / पंजीयन क्रमांक 887 गन 12 बोर दोनाली नम्बर 8002751 वैधता दिनांक 31. 12.2010 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु दिनांक 6.1.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के शपथ पत्र एवं नोटिस के जवाब मे विरोधाभास होने से जवाब संतोषप्रद नही होना प्रकट से शस्त्र अनुज्ञापत्र का समय पर नवीनीकरण नही कराना नियम विरूद्ध होने के कारण आदेश क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 17 / 1666–68 दिनांक 23.3.2017 से निलम्बित किया जाकर शस्त्र मकबरा थाने मे जमा कराने का पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वस्तुस्थिति व पत्रावली पर आई दस्तावेज के विपरीत है। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव अधिसूचना के कारण शस्त्र मकबरा थाने मे जमा हो रहा था अधिसूचना का प्रभाव समाप्त होते ही नवीनीकरण हेतु फार्म दिनांक 25.10.2013 को प्रस्तुत किया था जिसके संबध मे थाना मकबारा से आपराधिक रेकार्ड की जानकारी मांगी गई थी जो थाने द्वारा दिनांक 17.2.2014 को पेश की गई। उक्त आवेदन पत्र को पूर्व लिपिक द्वारा मिसप्लेस कर दिये जाने से पुनः नवीनीकरण हेतु फार्म प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकिया कार्यालय लिपिको की खींच तान मे ही लम्बित रही है उसमे अपीलांट का दोष नही है। अतः अनुज्ञापत्र निलम्बित रखने का आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के विलम्ब के संबध मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर भी गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेर अपील आदेश दिनांक 23.3.2017 अपास्त किया जाकर अपीलांट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि चुनाव अधिसूचना के कारण शस्त्र थाना मकबरा मे जमा हो रहा था। अधिसूचना समाप्त होने पर नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2013 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसके संदर्भ मे आपराधिक गतिविधियों बावत रिपोर्ट थाना मकबरा से मांगी गई जो दिनांक 17.2.2014 को पेश की गई लेकिन उक्त आवेदन पत्र संबधित लिपिक द्वारा मिसप्लेस कर दिये जाने से पुनः दिनांक 6.1.2017 को पेश किया गया। उक्त आशय का जवाब व शपथ पत्र अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया था जिसे असंतोषप्रद मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का लाईसेन्स निलम्बित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश न्यायोचित नही होने से अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया। xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि दिनांक 31.12.2010 तक नियत थी। अपीलार्थी द्वारा 6 वर्ष बाद दिनांक 6.1.2017 को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। लाईसेन्स समय पर नवीनीकरण नही कराने का जवाब संतोषप्रद नही होने तथा वैधता अवधि समय पर नही बढवाना नियम विरूद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया है। जेरअपील आदेश अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश है अतः अपील खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लाईसेन्स समय पर नवीनीकरण नही करवाना नियम विरूद्ध होने से अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 321/तह0 लाडपुरा/95/पंजीयन कमांक 887 गन 12 बोर दोनाली नम्बर 8002751 वैधता दिनांक 31.12.2010 को आलौच्य **आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/1666–68 दिनांक 23.3.2017 से निलम्बित किया जाकर विलम्ब के संबध मे नोटिस प्राप्ति की तिथी से 15 दिवस के भीतर की अवधि मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का पारित किया है।** अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अंतरिम आदेश है, अंतिम निर्णय/आदेश नही है। आलौच्य आदेश दिनांक 23.3.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किया जाकर तद्उपरांत उक्त आशय का नोटिस कमांक/न्याय/आर्म्स/17/1669 दिनांक 23.3.2017 को ही जारी किया जाकर नोटिस प्राप्ति तिथी से 15 दिवस के भीतर की अवधि मे जवाब पेश करने हेतु अपीलार्थी को जारी किया जाना प्रकट होता है। अतः आालौच्य आदेश के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी को उक्त विवेचित नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि के भीतर अधीनस्थ न्यायालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर समुचित तथ्यों के साथ अपना जवाब नोटिस पेश करना अपेक्षित है। अपीलार्थी नोटिस के संदर्भ मे समुचित तथ्यों के साथ अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार किये बिना इसी स्टेज पर निर्णित/समाप्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को 2 माह की अवधि मे अपीलार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर प्रकरण मे नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित/रिमांड किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा